भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2284

सोमवार, 09 दिसंबर, 2024 / 18 अग्रहायण, 1946 (शक)

रोजगार संबद्ध पहल (ईएलआई) योजनाएं

2284. श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए रोजगार संबद्ध पहल (ईएलआई) योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित की गई विशिष्ट कार्यनीतियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के संबंध में तीन रोजगार संबद्ध योजनाओं, पहली बार नौकरी चाहने वालों के लिए योजना (क) विनिर्माण रोजगार सृजन के लिए योजना (ख) और नियोक्ता सहायता हेतु योजना (ग) के दृष्टिकोण में किस प्रकार भिन्नता है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): सरकार ने रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1,07,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ " प्रधानमंत्री रोजगार और कौशल पैकेज" के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव किया है। यह योजना नियोक्ताओं और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करती है और सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार नियुक्त कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित करती है। योजना की अवधि दो वर्ष है। एक लाख रु. प्रतिमाह तक के वेतन वाले पहली बार नियुक्त/पुनः नियुक्त व्यक्ति ईपीएफओ में उनके नामांकन के आधार इसके पात्र होंगे। स्कीम का भाग-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

जारी 2/.....

योजना का **भाग-क** औपचारिक क्षेत्र में कार्यबल में प्रवेश करने वाले सभी नए व्यक्तियों को एक महीने के वेतन की सहायता प्रदान करेगा। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार नियुक्त कर्मचारियों को 3 किस्तों में एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण 15,000 रुपये तक होगा।

योजना का **भाग-ख** विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करेगा। रोजगार के पहले 4 वर्षों में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को उनके ईपीएफओ योगदान के संबंध में सीधे विनिर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

योजना का **भाग-ग** सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए अपने ईपीएफओ योगदान के लिए नियोक्ताओं को 2 वर्ष के लिए प्रति माह 3,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति करेगी। यदि नियोक्ता 1000 से अधिक नौकरियों का सृजन करता है, तो प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष के लिए उसी पैमाने पर जारी रहेगा जैसे कि भाग ख में नियोक्ता लाभ के रूप में निर्दिष्ट है।

******